



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255723
CG-DL-E-25072024-255723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2811]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2811]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2948(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए के जौनपुर से अकबरपुर खण्ड के कि.मी. 139.000 से कि.मी. 179.200 (पैकेज-III) के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य एवं अंबेडकरनगर बाईपास के निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) आजमगढ़ को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए के जौनपुर से अकबरपुर खण्ड के कि.मी. 139.000 से कि.मी. 179.200 (पैकेज-III) के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य एवं अंबेडकरनगर बाईपास के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: आजमगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: फूलपुर					
गांव का नाम: खेमीपुर					
1	313	सरकारी	चकरोड	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
2	398	निजी	कृषि	0.0198 (हेक्टेयर)	0.0198
3	399	निजी	कृषि	0.0078 (हेक्टेयर)	0.0078
4	400	निजी	कृषि	0.0097 (हेक्टेयर)	0.0097
5	407	निजी	कृषि	0.0134 (हेक्टेयर)	0.0134
6	409	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
गांव का नाम: चक कुरहा					
7	95	सरकारी	नवीन परती	0.0214 (हेक्टेयर)	0.0214
गांव का नाम: सिकंदर पट्टी					
8	140	निजी	कृषि	0.059 (हेक्टेयर)	0.059
गांव का नाम: सरईपुल					
9	468	निजी	कृषि	0.0462 (हेक्टेयर)	0.0462
10	554	निजी	कृषि	0.0297 (हेक्टेयर)	0.0297
कुल योग					0.2297

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A(PKg-III)/2023-24/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2948(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four Laning), Maintenance, management and operation of National Highway No. 135A, in the stretch of land in design chainage from km. 139.00 to km. 179.20 for Widening to 4 lane from Km. 139.00 to Km. 179.20 Pkg-III (Jaunpur – Akbarpur section) and Akbarpur bypass of NH-135A in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer (J.O.), Azamgarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired for Widening to 4 lane from Km. 139.00 to Km. 179.20
Pkg-III (Jaunpur – Akbarpur section) and Akbarpur bypass of NH-135A in the State of Uttar Pradesh.**

State: UTTAR PRADESH			District: AZAMGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Phulpur					
Village: Khemipur					
1	313	Government	chakroad	0.0025 (Hectare)	0.0025
2	398	Private	Agriculture	0.0198 (Hectare)	0.0198
3	399	Private	Agriculture	0.0078 (Hectare)	0.0078
4	400	Private	Agriculture	0.0097 (Hectare)	0.0097
5	407	Private	Agriculture	0.0134 (Hectare)	0.0134
6	409	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
Village: Chak Kurha					
7	95	Government	Naveen Parti	0.0214 (Hectare)	0.0214
Village: Sikandar Patti					
8	140	Private	Agriculture	0.059 (Hectare)	0.059
Village: Saraipul					
9	468	Private	Agriculture	0.0462 (Hectare)	0.0462
10	554	Private	Agriculture	0.0297 (Hectare)	0.0297
Total					0.2297

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A(PKg-III)/2023-24/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.